फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान - गोपाल बेगा आदि बनाम राजेन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा :- 251 क RTA प्रकरण सं. 291/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06/11/2024	आज यह पत्रावली वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। उभय पक्ष ने उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया, शामिल मिसल रहे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम पत्र जारी हो। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	राजकुमार GCMS 2024/668

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 291/2024 GCMS:- 2024/668

1. गोपाल लेघा पुत्र श्री सूरताराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. पुष्पादेवी पत्नी महेश कुमार जाति सरावगी निवासी वार्ड नं. 29 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह
2. सुखविन्द्रसिंह

} पुत्रगण जसवंतसिंह अकवाम जटसिख निवासीयान फतेहगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

3. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जरिये पैरोकार राज. — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिती : शिशपाल शर्मा एडवोकेट — प्रार्थीगण,
योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट — अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक : 06.11.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी नं. 01 के नाम से ग्राम अमरपुरा जाटान के पत्थर नं. 60/383 के किला नं. 11/1 में 0.240 है० व किला नं. 12/1 में 0.241 है० कुल 0.481 है० व प्रार्थी नं. 02 के नाम से इसी चक अमरपुरा जाटान के पत्थर नं. 61/383 के किला नं. 4–6 में 0.506 है० किला नं. 7/1 में 0.161 है० कुल 0.770 है० व रकबा खातेदारी है इस रकबा में कम्बाईन इत्यादि ले जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता पूरी चौड़ाई में नही है। इसलिये प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं. 01 व 02 के खातेदारी रकबा ग्राम अमरपुरा जाटान के पत्थर नं. 60/383 के किला नं. 2 व 9 के पूर्वी पासा 65 फुट रकबा छोड़कर 30 फुट चौड़ाई में उत्तर से दक्षिणी में किला नं. 2 व 9 में से किला नं. 12 की पंहुच तक प्रार्थीगण ने रास्ता ले रखा है व इसी रास्ते में किला नं. 9 व 10 के दक्षिण में 58 फुट का रकबा छोड़कर किला नं. 9 व 10 के पूर्व से पश्चिम 30 फुट की चौड़ाई से रास्ता प्रार्थी नं. 02 के पत्थर नं. 61/383 के किला नं. 12 की पंहुच तक ले रखा है इस रास्ते को स्वीकृत किया जावे। तथा अप्रार्थीगण ने इस रास्ता को स्वीकृत करने की सहमति प्रस्तुत की है। उभयपक्ष में ने रास्ता स्वीकृति कर सहमति पत्र 500/—रू. का स्टाम्प लगा कर सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। सहमति पत्र स्वीकृत किये जाने वाले रास्ते बाबत पूर्व में प्रतिफल राशि प्रदत करना स्वीकार किया है व रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में प्रार्थनापत्र अनुसार 30 फुट चौड़ाई में रास्ता चाहिए। जिसमें अप्रार्थीगण सहमत है। रास्ता के बदले प्रतिफल राशि पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार कर रहें है इसलिये प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित समझाता है।

अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं. 01 व 02 के नाम के ग्राम अमरपुरा जाटान के पत्थर नं. 60/383 (40) के किला नं. 2 व 9 के पूर्वी दिशा में 65 [illegible] छोड़कर, किला नं. 2 व 9 में से 30 फुट चौड़ाई में (उत्तर से दक्षिण लम्बाई [illegible] रास्ता में से किला नं. 9 व 10 के दक्षिणी दिशा में से 58 फुट रकबा छोड़कर किला [illegible] 9 व 10 में 30 फुट की चौड़ाई में (पूर्व से पश्चिम) पत्थर नं. 61/383 के किला नं. 6 की पहुच तक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ता के नाम दर्ज करने की आदेश तहसील सूरतगढ़ को दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक / 2024/ 8456 दिनांक : 07/11/2024

तहसीलदार राजस्व
सूरतगढ़।

विषय : प्रकरण संख्या 291/2024 बअनवान गोपाल लेधा आदि बनाम 1. राजेन्द्रसिंह, 2 सुखविन्द्रसिंह पिसरान जसवंतसिंह जाति जटसिख निवासी फतेहगढ़ तहसील संगरिया हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) रास्ता स्वीकृत करने बाबत।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्कारी अधिनियम

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अप्रार्थी नं. 01 व 02 के नाम के ग्राम अमरपुरा जाटान के पत्थर नं. 60/383 (40) के किला नं. 2 व 9 के पूर्वी दिशा में 65 फुट रकबा छोड़कर, किला नं. 2 व 9 में से 30 फुट चौड़ाई में (उतर से दक्षिण लब्बाई में) किला नं. 12 की पंहुच तक व इसी रास्ता में से किला नं. 9 व 10 के दक्षिणी दिशा में से 58 फुट रकबा छोड़कर किला नं. 9 व 10 में 30 फुट की चौड़ाई में (पूर्व से पश्चिम) पत्थर नं. 61/383 के किला नं. 6 की पंहुच तक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। यह आदेश निर्णय दिनांक 06.11.24 का ही भाग माना जावे। व इसी अनुसार अमलदरामद किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.08 16:18:33 IST
Reason: SelfAttested